

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
		3	4	5
1	श्री महेश प्रताप सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
2	सुश्री नम्रता गौड़	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
3	श्रीमती ललिता रानी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंहनगर	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
4	श्री गणेश सिंह भण्डारी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	17 (1)(ख)(छ) अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम
5	अंजू राणा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
6	श्री कुलदीप सिंह पंवार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी (सुगम विकास खण्ड)	17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। क्रमांक 06 पर अंकित कार्मिक श्री कुलदीप सिंह पंवार को जनपद पौड़ी में सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की कमी के कारण जनपद पौड़ी के सुगम विकास खण्ड में तैनात किया जाता है।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह अगस्त 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

हो।
(आशीष भटगाँई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 997 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 25 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह अगस्त, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

(कमलेश भण्डारी)
मुख्य वित्त नियंत्रक
कृते निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvii-4/ 2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ललिता पाण्डे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रा० सु०रा०आ० आ०वि० मखनपुर	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

ok (आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 992/स०क०/स्था०-3/स्था०-24/2024-25

दिनांक 24 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

ok निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, तथा उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvii-4/ 2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ललिता पाण्डे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रा०. सु०रा०आ० आ०वि० मक्खनपुर	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 982/स०क०/स्था०-3/स्था०-24/2024-25

दिनांक 24 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नीलम बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

ok
(आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 984 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 24 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

ok
निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नीलम बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 984 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 24 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।


निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री दीपक जोशी, प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पितौरागढ़	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

ok (आशीष भटगाँई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 985 /स०क०/स्था०-3/स्था०-24/2024-25

दिनांक 24 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

ok (निदेशक)

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvii-4/ 2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री दीपक जोशी, प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 984 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 24 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

8

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvii-4/ 2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रधान सहायक को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश चौहान	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी	राजकीय दिव्यांग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र टिहरी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

श्री राजेश चौहान का वेतन अधीक्षक, राजकीय दिव्यांग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, टिहरी गढ़वाल के पद के सापेक्ष आहरित किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

o/c (आशीष भटगाई)
निदेशक

संख्या 986 /स०क०/स्था०-3/स्था०-24/2024-25

दिनांक 24 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

o/c
निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvii-4/ 2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रधान सहायक को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश चौहान	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी	राजकीय दिव्यांग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र टिहरी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

श्री राजेश चौहान का वेतन अधीक्षक, राजकीय दिव्यांग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, टिहरी गढ़वाल के पद के सापेक्ष आहरित किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 986 /स०क०/स्था०-3/स्था०-24/2024-25

दिनांक 24 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री सतवीर सिंह,	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी हाल- अनु०जाति नियोजन प्रकोष्ठ देहरादून	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
2	श्री विनोद कुमार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
3	श्री राहुल गोसांई	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैकोट चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग	धारा 17-(1) (ख) (छः)दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल पर अनुरोध के क्रम में स्थानान्तरण
4	श्री कृष्णानन्द पाण्डे	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।	धारा 17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

ok
9
(आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 983 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 29 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

ok
9
निदेशक

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाँई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 983 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 29 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

9

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित नर्स/कम्पाण्डर को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भारती नयाल, नर्स/कम्पाण्डर	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, हल्द्वानी	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ऊधमसिंहनगर	7(घ) (दो) 7(घ) (दो) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 1221278 दिनांक 28 जून 2024

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

ok (आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 987 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 27 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

ok निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित नर्स/कम्पाण्डर को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भारती नयाल, नर्स/कम्पाण्डर	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, हल्द्वानी	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ऊधमसिंहनगर	7(घ) (दो) 7(घ) (दो) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 1221278 दिनांक 28 जून 2024

उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 987 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 27 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

81

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्र संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती स्थल का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री महेश प्रताप सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	धारा 17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
2	सुश्री नम्रता गौड़	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
3	श्रीमती ललिता रानी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंहनगर	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	17 (1)(क) सुगम से दुर्गम
4	श्री गणेश सिंह भण्डारी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	17 (1)(ख)(छ) अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम
5	अंजू राणा	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम
6	श्री कुलदीप सिंह पंवार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी (सुगम विकास खण्ड)	17 (1)(ग) दुर्गम से सुगम

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। क्रमांक 06 पर अंकित कार्मिक श्री कुलदीप सिंह पंवार को जनपद पौड़ी में सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की कमी के कारण जनपद पौड़ी के सुगम विकास खण्ड में तैनात किया जाता है।

स्थानान्तरित कार्मिकों का माह अगस्त 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

हॉ/-
(आशीष भटगाँई)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 997 /स0क0/स्था0-3/स्था0-24/2024-25

दिनांक 25 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 2- सम्बंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक का माह अगस्त, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कार्मिक, द्वारा सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली।


(कमलेश भण्डारी)
मुख्य वित्त नियंत्रक
कृते निदेशक